भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5062
02 अप्रैल, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत और अधिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना

5062. श्री तनुज पुनिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राशन कार्डधारकों के लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थों का ब्यौरा क्या है और इन खाद्य पदार्थों का मूल्य क्या है;
(ख) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के अलावा अनाज जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करने/की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाती है। यह अधिनियम 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवरेज प्रदान करता है, जो कुल आबादी लगभग दो-तिहाई को कवर करता है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है। जबकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार, जो सबसे गरीब हैं, प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के पात्र हैं, प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क पाने के पात्र हैं।

अधिनियम के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समय-समय पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो। वर्तमान में, अधिनियम के तहत और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****